बिहार सरकार

# श्रम संसाधन विभाग

## दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना।

**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना हेतु अध्ययन सामग्री।**

116

# परिचय

श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) राज्य के युवाओं के कौशलवर्द्धन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति कृत संकल्पित है। प्रशिक्षण पक्ष द्वारा पूरे राज्य में 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) एवं 1231 गैर–सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से लाखों युवक/युवतियों को विभिन्न इंजीनियरिंग/गैर–इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अत्याधुनिक एवं रोजगारोन्मुख बनाने के लिए निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) द्वारा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन, आधारभूत संरचनाओं के विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसायों को प्रारंभ करने तथा शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षुओं के प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाकलापों के कियान्वयन एवं समन्वय हेतु सतत् कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के द्वारा बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों, प्रशिक्षण पक्ष अंतर्गत अनुदेशकों/ग्रुप अनुदेशकों, लिपिकों एवं अराजपत्रित सेवा संवर्ग के अन्य कर्मियों की सेवा–शर्त्तें, प्रोन्नति ,सेवा सम्पुष्टि, ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० तथा आरोपों के निष्पादन आदि के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है।

बिहार राज्य की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय पार्ट–2 के तहत 'युवा शक्ति बिहार की प्रगति' के अंतर्गत राज्य के सभी 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई एवं अनुश्रवण निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के स्तर से ही किया जा रहा है, जिससे राज्य के युवाओं को कौशल उन्नयन कर रोजगारपरक बनाने तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को Industry 4.0 के अनुरूप विकसित करते हुए युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

115

# संगठनात्मक संरचना

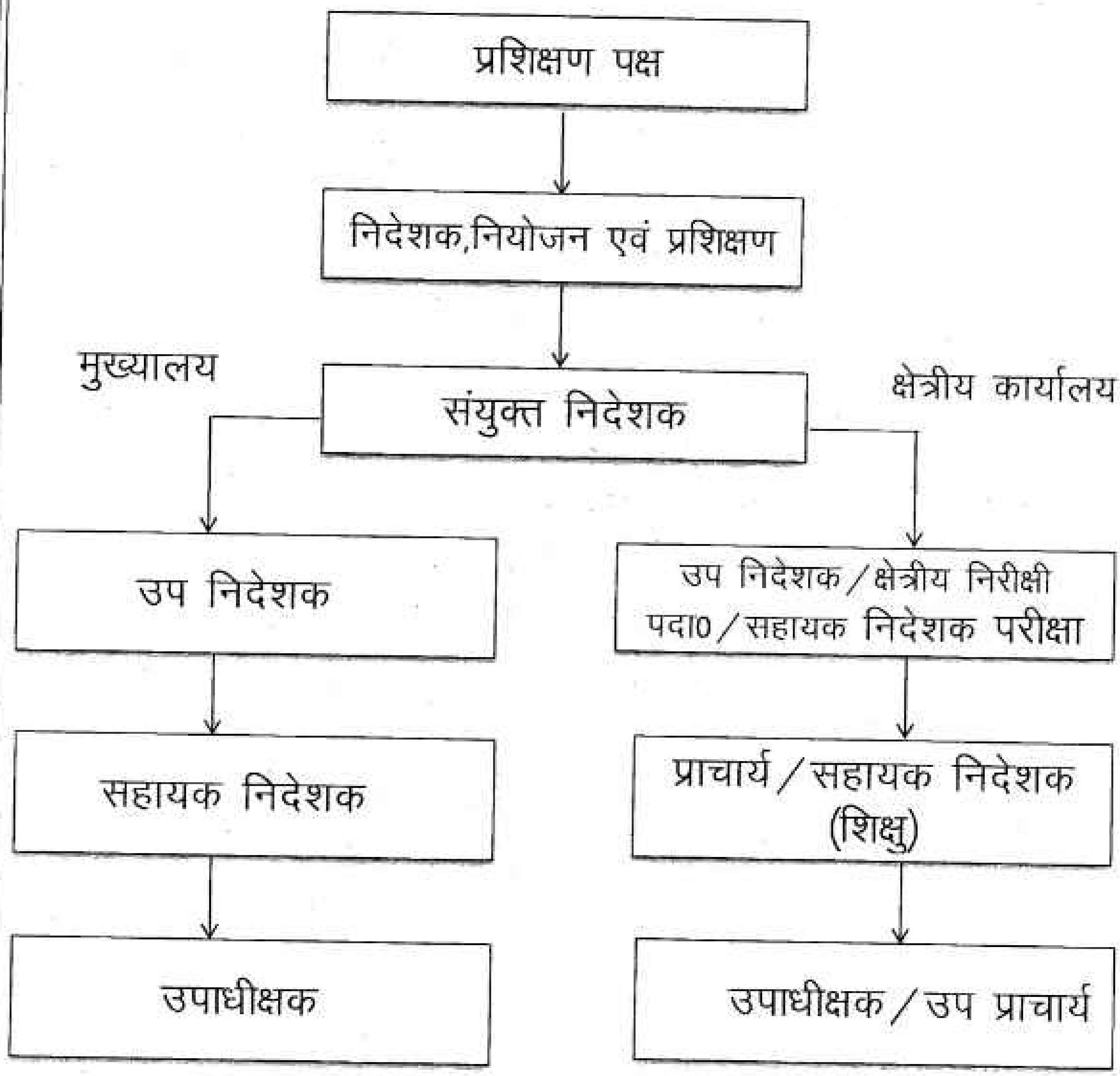


निदेशालय,नियोजन एवं प्रशिक्षण,(प्रशिक्षण पक्ष),बिहार

## निदेशालय,नियोजन एवं प्रशिक्षण,(प्रशिक्षण पक्ष),बिहार अंतर्गत स्वीकृत एवं कार्यरत बल की विवरणी।

| क्रम सं0 | पदनाम | स्वीकृत | कार्यरत |
|---|---|---|---|
| 1 | निदेशक | 01 | 01 |
| 2 | संयुक्त निदेशक | 04 | 03 |
| 3 | उप निदेशक | 26 | 22 |
| 4 | सहायक निदेशक / प्राचार्य | 149 | 59 |
| 5 | उपाधीक्षक / उप प्राचार्य | 168 | 35 |
| 6 | ग्रुप अनुदेशक | 497 | 412 |
| 7 | व्यवसाय अनुदेशक | 2656 | 03 |
| 8 | प्रधान लिपिक | 138 | 98 |
| 9 | उच्च वर्गीय लिपिक | 330 | 27 |
| 10 | निम्न वर्गीय लिपिक | 497 | 126 |
| 11 | कार्यालय परिचारी | 592 | 90 |

# आधारभूत संरचना

राज्य सरकार के सात निश्चय योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी अनाच्छादित अनुमंडलो में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा अनाच्छादित जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है। वर्त्तमान में पूरे राज्य में 113 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 38 सरकारी महिला। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किया जा रहा है। उक्त में से 09 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र प्रायोजित योजना "वामपंथी अतिवाद (एल0 डब्लू0 ई0) से प्रभावित 47 जिलो में कौशल विकास" के अंतर्गत राज्य के 09 उग्रवाद प्रभावित जिलों यथा– गया/रोहतास/अरवल/जमुई/औरंगाबाद/जहानाबाद/मुजफ्फरपुर/नवादा/बांका जिले के युवाओं को व्यवसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्थापित किये गये हैं एवं उक्त हेतु ही 06 जिलों में कुल 11 कौशल विकास केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं।

बिहार राज्य के 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में से कुल 127 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अपने भवन में संचालित हैं। कुल 15 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माणाधीन है एवं शेष 09 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसकी विस्तृत सूची परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न है। स्थापित सभी 11 कौशल विकास केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है एवं प्रशिक्षण प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग के द्वारा हीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नए भवनों का निर्माण कार्य कराया जाता है, जिसके लिए निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के स्तर से आवश्यक वांछित कार्रवाई एवं निर्माणाधीन भवनों के निर्माण कार्य का लगातार अनुश्रवण किया जाता है।

112

❖ **राज्य में संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सूचीः—**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट,पटना / बाढ़ / बिहटा / मसौढ़ी / पालीगंज / पटनासिटी / गया / महकार / टेकारी / डुमरिया(एल0डब्लू0ई0) / भागलपुर / नवगछिया / कहलगॉव / डेहरी–ऑन–सोन / भेलारी / तुम्बा(एल0डब्लू0ई0) / सासाराम / नवादा / रजौली / कौआकोल,नवादा(एल0डब्लू0ई0) / बक्सर / डुमराव / पुपरी / सीतामढ़ी / बेलसंड / मुजफ्फरपुर / मुजफ्फरपुर पश्चिमी / मुजफ्फरपुर(एल0डब्लू0ई0) / मढौरा / सोनपुर / छपरा / गरखा,सारण / हथुआ / गोपालगंज / मोतिहारी / सिकरहना / पकड़ीदयाल / चकिया / अरेराज / रक्सौल / बेतिया / सेमराबाजार,बगहा / नरकटियागंज / दरभंगा / बिंरौल / बेनीपुर / घोघरडीहा / बिस्फी / शिवनगर,बेनीपट्टी / जयनगर / मधुबनीसदर / झंझारपुर / सुपौल / वीरपुर / त्रिवेणीगंज / निर्मली / मुंगेर / हवेलीखड़गपुर / तारापुर, मुंगेर / बेगूसराय / तेघड़ा / बलिया / मंझौल / बखरी / कटिहार / बारसोई / मनिहारी / अररिया / फारबीसगंज / हाजीपुर / महुआ / महनार / राघोपुर,वैशाली / आरा / पीरो, भोजपुर / बिहियॉ / कल्याणबिगहा / हिलसा / राजगीर / सरमेरा / कैमूर / मोहनियॉ / पुर्णियॉ / बायसी / बनमनखी / धमदाहा / राहरसा / सिमरीबख्तियारपुर / जमुई / गिद्धौर (एल0डब्लु0ई0) / बांका / बौंसी(एल0डब्लु0ई0) / जहानाबाद / मखदुमपुर(एल0डब्लु0ई0) / ठाकुरगंज / सीवान / महाराजगंज / मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / शेखपुरा / खगड़िया / गोगरी / शिवहर / समस्तीपुर / रोसड़ा / पटोरी / दलसिंहसराय / अरवल / सोनभद्रवंशी, अरवल(एल0डब्लु0ई0) / औरंगाबाद / दाउदनगर / बभण्डी(एल0डब्लु0ई0) / लखीसाराय ।

❖ **राज्य में संचालित महिला सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सूचीः—**

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,दीघाघाट,पटना / सीवान / मुजफ्फरपुर / आरा / दरभंगा / मोतिहारी / गया / सारण / पूर्णियॉ / सहरसा / मुंगेर / बेगूसराय / भागलपुर / जहानाबाद / फारबिसगंज / सुपौल / अरवल / जमुई / सीतामढ़ी / बक्सर / नवादा / कटिहार / बेतिया / शिवहर / वैशाली / मधुबनी / औरंगाबाद / किशनगंज / मधेपुरा / बांका / खगड़िया / लखीसराय / शेखपुरा / कैमूर / गोपालगंज / समस्तीपुर / नालंदा / सासाराम ।

# औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन

श्रम संसाधन विभाग के ज्ञापांक–1694 दिनांक–27/12/2001 के आलोक में बिहार राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन राज्य स्तर पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (ITI CAT) के माध्यम से की जाती है। उक्त नामांकन प्रक्रिया में बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं लागू किए गए आरक्षण अधिनियम/नियमों/नीतियों का पालन किया जाता है।

**प्रवेश हेतु अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें :–**

❖ **शैक्षणिक :–**

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या सी.बी.एस.ई. द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में गणित एवं विज्ञान के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा में गणित, भैतिकी एवं रसायन विज्ञान में अलग–अलग उत्तीर्ण होने के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण। आई.टी. सेक्टर पाठ्क्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा (साईन्स के साथ) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गैर–अभियंत्रण व्यवसाय में नामांकन के लिए सिर्फ माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

❖ आवासीय :–

केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं, जो भारत के नागरिक हैं और निम्नलिखित में से कम–से–कम एक आवासीय श्रेणी के अंतगर्त आते हैं:–

(i) जिनके माता/पिता/पति/पत्नी बिहार के स्थायी/मूल निवासी हैं।

(ii) जिनके माता/पिता/पति/पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी (रिफ्यूजी) हैं।

(iii) जिनके माता/पिता/पति/पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।

(iv) जिनके माता/पिता/पति/पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों/राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं।

(v) जिसके पति बिहार के निवासी/बिहार में पदस्थापित हैं उस विवाहित महिला के लिए, उसके पति का आवासीय प्रमाण पत्र, पत्नी पर लागू होगा।



42

❖ **आयु एवं शारीरिक जाँच :–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल एवं मेकैनिक ट्रैक्टर व्यवसायों के लिये न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का बंधन नहीं है। प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की चिकित्सयीय जाँचोपरांत योग्य पाये जाने पर ही प्रवेश दिया जाता है।

❖ **नामंकन हेतु जिला का चयन :–**

(क) बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु कुल सीटों में से 25% सीट जिला के बंधेज से मुक्त रहता है,अर्थात् कुल सीटों में से 25% सीटों पर नामांकन के लिए सभी जिलों के अभ्यार्थी पात्रता प्राप्त हैं।

(ख) शेष 75% सीटों के लिए प्रत्येक पात्रता–प्राप्त उम्मीदवार निम्नलिखित विकल्पों में से केवल एक ही जिला में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन दे सकता है:–

(i) जिस जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्थानों से सम्बद्ध जिला के मूल निवासी होने का विधिवत निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

(ii) जिस जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन दे रहे हैं उस जिला में उसके माता/पिता/पति/पत्नी बिहार सरकार/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों/राष्ट्रसंघ के कर्मचारी के रूप में पदस्थापित होने का विधिवत निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

(iii) जिस जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन दे रहे हैं उस जिला के किसी विद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने या उसमें सम्मिलत होने का उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

अधिक सूचना हेतु स्थानीय जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पर्षद कार्यालय के Website https://bceceboard.bihar.gov.in/ से सूचना प्राप्त की जा सकती है।

# प्रशिक्षण के प्रकार

## 1. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmanship Training Scheme) :–

यह योजना भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1950 में प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 41 व्यवसायों (21 एक वर्षीय एवं 20 दो वर्षीय व्यवसाय) में प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक माँग के अनुरूप विभिन्न व्यवसायों में कुशल कामगारों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नवीन एवं रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षित युवाओं को रोजगार एवं स्व–रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है। वर्त्तमान में पूरे राज्य में 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिसमें कुल 32772 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु सीट स्वीकृत है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार के ट्रेनिंग मैनुअल के आलोक में तथा National Council For Vocational Education Training (N.C.V. E.T.) के द्वारा निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकास, संबंधन, नीति एवं मानक निर्धारण तथा समन्वय हेतु शीर्षस्थ संगठन है।

वर्त्तमान में पूरे राज्य में 111 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 38 सरकारी महिलाा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को N.C.V. E. T. भारत सरकार से संबंधन प्राप्त है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,राघोपुर, वैशाली एवं गरखा,सारण में संचालित व्यवसायों को S.C.V.T. से संबंधन प्राप्त है।

राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत युवाओं को प्रशिक्षण अवधि के अंतिम वर्ष में तथा प्रशिक्षणोंपरांत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों/निजी कम्पनियों के माध्यम से संस्थान स्तर पर प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन कर प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट कराने में भी सहयोग प्रदान किया जाता है।

❖ **प्रशिक्षण शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं अवधान राशि :–**

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित अनुसूचित जाति/जन– जाति के अभ्यर्थियों से रू0 20/– प्रति माह प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य कोटि के अभ्यर्थियों से रू0 40/– प्रति माह प्रशिक्षण शुल्क के रूप में लिए जाने का प्रावधान है। पंजीयन शुल्क के रूप में अनुसूचित जाति/जन– जाति के अभ्यर्थियों से रू0 50/– तथा अन्य कोटि के अभ्यर्थियों से रू0 100/– लिए जाने का प्रावधान है। नामांकन के समय सभी कोटि के अभ्यर्थियों से अवधान राशि के रूप में रू0 500/– जमा लिया जाता है, जिसे प्रशिक्षणोंपरांत सभी सफल प्रशिक्षणार्थियों को वापस किए जाने का प्रावधान है।

❖ **राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों की सूचीः–**

इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन/इलेक्ट्रीशियन पॉवर डिस्ट्रीब्युसन/इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक /मेकैनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रोनिक अप्लायेन्सेज/फिटर/टर्नर / मशिनिष्ट/इन्सट्रूमेंट मैकेनिक/रेफ्रिजेरेशन एण्ड एयर कंडिसनिंग टेक्नीशियन/मैकेनिक मोटर व्हीकल/ ड्राफ्ट्समैन(मैकेनिकल)/लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर मेकैनिक/मशिनिष्ट ग्राईंडर/मेकैनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी/ टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स/इन्फॉरमेशन एण्ड कॉम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेन्टेनेंश/इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी/ड्राफ्ट्समैन (सिविल)/सर्वेयर /मैकेनिक डीजल/मैकेनिक ट्रैक्टर/वेल्डर/ वेल्डर(फैब्रिकेशन एण्ड फिटिंग)/ प्लम्बर/ फाउंड्रीमैन/प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर/मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग/ मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर/ऐडेटिभ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन (3–डी प्रिंटिग)/ सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रीकल्स)/कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट/ मल्टीमीडिया एनीमेशन एण्ड स्पेशल इफेक्ट/बेकर एण्ड कन्फेक्शनर्स/ फूड बेवरेज/ फ्रूट एण्ड भेजेटेबुल प्रोसेसिंग /मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट टेक्निशियन/कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉइडरी एन्ड डिजाइन/ इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेकनीशियन (स्मार्ट हेल्थ केयर)/इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेकनीशियन (स्मार्ट सिटी)/इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेकनीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर)।

## 2. शिक्षु प्रशिक्षण योजना (Apprenticeship Training Scheme ) :-

भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत इस योजना में औद्योगिक मॉग के अनुरूप प्रशिक्षित कामगारों की आपूर्ति हेतु अर्द्धकुशल कामगारों को राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में उपलब्ध औद्योगिक संसाधनों का उपयोग कर युवाओं को On-Job-Training (OJT) के माध्यम से कुशल कामगार के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं।

शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत, वैसे प्रतिष्ठान जहाँ 29 से अधिक कर्मी/पदाधिकारी (संविदा/नियमित) हों, के लिए कुल स्वीकृत बल का 2.5% से 15% की सीमा में अभ्यर्थियों को अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण देना अनिवार्य है एवं वैसे प्रतिष्ठान जहाँ 4 से अधिक तथा 29 से कम कर्मी/पदाधिकारी हों, के लिए कुल स्वीकृत बल का 2.5% से 15% की सीमा में अभ्यर्थियों को अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण देना वैकल्पिक है।

निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के स्तर से राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में शिक्षु प्रशिक्षण योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाता है। शिक्षु प्रशिक्षण योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य को 03 प्रक्षेत्रों यथा– पटना, मुजफ्फरपुर एवं बेगूसराय में बाँटा गया है तथा प्रत्येक प्रक्षेत्र में एक–एक सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु) का कार्यालय स्थापित किया गया है। पटना प्रक्षेत्र के अंतर्गत 11 जिले, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के अंतर्गत 12 जिले तथा बेगूसराय प्रक्षेत्र के अंतर्गत 15 जिले आते हैं, जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र का नाम | उक्त प्रक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जिलों का नाम |
|---|---|---|
| 1 | पटना | पटना, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जहानाबाद, नालन्दा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर। |
| 2. | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सारण, वैशाली, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज। |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | बेगूसराय | बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, बाँका, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। |

निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष मुख्यालय में दिनांक–01/01/2024 से शिक्षु प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत अन्य पक्षों तथा राज्य के अन्य विभागों/बोर्ड में शिक्षु प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु पहल किया जा रहा है। राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी भारत सरकार के अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर निबंधित कराते हुए शिक्षु प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई किया जा रहा है। साथ हीं शिक्षु अधिनियम–1961 के अन्तर्गत शिक्षु प्रशिक्षण के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता हेतु सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेन्टिसशिप मेला का आयोजन भी किया जा रहा है।

❖ **<u>राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS)</u> :–**

शिक्षु प्रशिक्षण योजना को बढ़ावा देने तथा प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme) लागू की गयी है। इसके अंतर्गत शिक्षु प्रशिक्षण देने वाले सभी प्रतिष्ठानों को भारत सरकार से अनुमान्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जिसके अनुसार प्रशिक्षु रखने वाले सभी प्रतिष्ठानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति/वृत्तिका का 25 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1500/– प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह की दर से भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही नवागंतुक शिक्षु के मामले में, तीन महीने तक की अवधि के लिये बेसिक प्रशिक्षण के दौरान स्थापना द्वारा भुगतान की जाने वाली वृत्तिका/छात्रवृत्ति रकम विहित वृत्तिका/छात्रवृत्ति रकम का 50 प्रतिशत होगी। इसके अतिरिक्त एक साथ बेसिक ट्रेनिंग (बी0टी0) और ऑन–द–जॉब ट्रेनिंग (ओ0जे0टी0) के मामले में, वृत्तिका/छात्रवृत्ति की पूरी रकम का भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

# केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) द्वारा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सतत् कार्रवाई की जाती है। उक्त के संदर्भ में विवरण निम्नवत है–

## ❖ औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) योजना :–

यह परियोजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त भारत सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और शिक्षु प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है। इस योजना के तहत वर्त्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डेहरी–ऑन–सोन/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर का उन्नयन किया जा रहा है। इस योजना में चार Result Area के अन्तर्गत उन्नयन किया जाना है, जिसमें Result Area 1 एवं Result Area 2 हेतु राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई किया जा रहा है:–

Result Area 1 :- Improving Performance of ITIs

Result Area 2 :- Increasing Capacities of State Governments

Result Area 3 :- Improved Teaching and Learning Facilities

Result Area 4 :- Improved and Broadened Apprenticeship Training.

उपरोक्त में सें Result Area 1 हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत संस्थानों में नामांकन प्रतिशत में वृद्धि, प्रशिक्षणार्थियों के उत्तीर्णता प्रतिशत में वृद्धि, प्रशिक्षणार्थियों के ऑन जॉब ट्रेनिंग के प्रतिशत में वृद्धि एवं महिला अभ्यर्थियों के नामांकन प्रतिशत में वृद्धि हेतु कार्रवाई की जा रही है। Result Area 2 हेतु निदेशालय के स्तर से कार्रवाई किया जा रहा है, जिसके तहत अनुदेशक संवर्ग के लिए कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी तैयार करने, अनुदेशकों की रिक्ति कम करने, ITI Graduates के लिए Tracer Study कराए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

### ❖ मॉडल आई0टी0आई0 योजना :–

केन्द्र प्रायोजित इस योजना के तहत एक राज्य में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में अपग्रेड किया जाना है। बिहार राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौरा, सारण को मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। जिसके तहत इस संस्थान को स्थानीय उद्योगों के साथ बेहतर जुड़ाव, स्थानीय औद्योगिक मॉग के अनुरूप बेहतर प्रशिक्षण संचालन एवं उनकी विशिष्ट कौशल आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए Flexi MoU करना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रशिक्षण आदि हेतु कार्रवाई की जा रही है।

इस योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौरा में Motar Mechanic Vehicle, Information Communication Technology System Maintenance (ICTSM), Mechanic, Agriculture Machinery, Lift escalator mechanic, Mechanic Refrigeration & Air Conditioning (MRAC) and Plumber आदि नये व्यवसाय प्रारंभ कर प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

### ❖ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के 47 जिलों में कौशल विकास योजना :–

केन्द्र प्रायोजित इस योजना के तहत बिहार राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवाओं को व्यवसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनके रोजगार एवं स्वरोजगार के नये अवसर प्रदान किये जाने हेतु कारवाई की जा रही है।

इस योजना अन्तर्गत राज्य के 09 जिलों में एक–एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यथा– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डुमरियाँ, गया/तुम्बा, रोहतास/सोनभद्र बंशी अरवल/ गिद्धौर, जमुई/ बभंडी, औरंगाबाद/मखदुमपुर, जहानाबाद/मीनापुर, मुजफ्फरपुर/ कौआकोल, नवादा/बौसी, बांका एवं 11 कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये गय हैं। सभी 09 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में फीटर, इलेक्ट्रीशियन, ICTSM, इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक एवं ड्राफ्टसमैन सिविल व्यवसाय में प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। स्थापित 11 कौशल विकास केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण है।

❖ **प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना :–**

केन्द्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगारों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य बनाया जाना है। साथ ही उनकी क्षमता, उत्पादकता एवं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु उन्हें प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनका कौशल उन्नयन किये जाने, आधुनिक एवं बेहतर मशीन–उपकरणों का सहयोग, इच्छुक लाभार्थियों को Collateral Free एवं ब्याज छूट के साथ ऋण उपलब्ध कराने तथा उनकी ब्रांडिंग एवं मार्केट लिंकेज हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें उन्नति के नए अवसर प्राप्त होने में सहयोग मिल सके।

इस योजना के लाभ हेतु 18 तरह के कारीगरों / शिल्पकारों यथा– बढ़ई, नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार / मूर्तिकार,पत्थर तराशने / तोड़ने वाला, दर्जी, मेशन (राजमिस्त्री), टोकरी निर्माता / टोकरी वेवर / चटाई निर्माता / कॉयर बुनकर / झाडू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक),नाई,माला निर्माता (मालाकार), धोबी, मछली पकड़ने का जाल निर्माता एवं मोची(चर्मकार) / जूता बनाने वाला / फुटवियर कारीगर को चुना गया है।

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत अभ्यर्थियों को Trainee Verification के उपरांत 40 घंटे (5–7 दिनों) का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें Tool Kit से संबंधित 15 घंटे का प्रशिक्षण एवं Digital Literacy, Financial Literacy, Marketing & Branding तथा Self-Employmet से संबंधित 15 घंटे का प्रशिक्षण दिया जायेगा। बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत इच्छुक अभ्यर्थियों को 120 घंटे(15 दिनों) के उन्नत प्रशिक्षण (Advanced Skill Training) के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को रूपये 500/– प्रतिदिन दिया जायेगा तथा एसेसमेंट में भाग लेने हेतु रूपये 1000/– अतिरिक्त देय होगा। प्रशिक्षणोंपरांत

102

लाभार्थी को Tool Kit क्रय हेतु रूपये 15000/– की राशि evoucher के माध्यम से दिया जायेगा।

बिहार कौशल विकास मिशन के देख–रेख में बिहार राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय वर्ष– 2024–25 से इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

❖ **जन निजी भागीदारी (P.P.P.) के माध्यम से 1396 सरकारी आई0टी0आई0 का उन्नयन योजना :–**

केन्द्र प्रायोजित इस योजना में वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 के बीच चरणवार तरीके से राज्य के 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर/ बेगूसराय/ सुपौल/ वीरपुर/घोघरडीहा/ डेहरी–ऑन–सोन/ मुंगेर/ हाजीपुर/ हथुआ/ मढ़ौरा/ बेतिया/ पटना (महिला)/ मुजफ्फरपुर (महिला) का चयन कर उन्नयन किया जा रहा है।

इस योजना में शामिल प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ एक Industry Partner भी संबद्ध किया गया है एवं प्रत्येक संस्थान में एक संस्थान प्रबंधन समीति (आई0एम0सी0) का भी गठन किया गया है, जो सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक संस्थान को भारत सरकार के द्वारा आई0एम0सी0 सोसायटी के माध्यम से 2.5 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋृण दिया गया था। आई0एम0सी0 सोसायटी को वित्तीय एवं शैक्षणिक स्वायत्ता प्रदान की गयी है। आई0एम0सी0 सोसायटी को ब्याज मुक्त ऋण के लिए 10 वर्षों की ऋण स्थगण अवधि के साथ अगले 20 वर्षों में बराबर किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गयी है।

इस योजनान्तर्गत संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ किये जाने, पूर्व से संचालित व्यवसायों को उत्क्रमित किये जाने, कर्मशालाओं में अद्यतन मापदंड के अनुरूप मशीनों का क्रय कर अधिष्ठापित किये जाने, संस्थानों में कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास रूम एवं पुस्तकालय स्थापित किये जाने तथा संस्थान को Production Center के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की गयी है।

❖ **पी0एम0–सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजनाः–**

भारत सरकार द्वारा सौर छत क्षमता (Solar Roof Top Capacity) को अपनाने एवं आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिनांक– 29/02/2024 को पी0एम0–सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना की मंजूरी दी गयी है। इस योजना के Skilling Component के अंतर्गत वैसे कुशल कार्यबल तैयार किया जाना है, जो इसके अधिष्ठापन, रख–रखाव तथा व्यापक सौर प्रौद्योगिकी के उपयोग को Support प्रदान करने हेतु सक्षम हो। इस योजना के अंतर्गत भारत वर्ष में लगभग 1,00,000 Solar PV Technician हेतु अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य है। इस योजना के Skilling Component के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में Directorate General of Training (DGT), भारत सरकार कार्य कर रही है तथा अन्य Stakeholders के रूप में National Council for Vocational Education and Training (NCVET), National Instructional Media Institute (NIMI), Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), National Skill Development Corporation (NSDC), Training Center (NSTIs/ITIs) आदि कार्य कर रहे हैं।

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्त्तमान में 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संचालित है। इस योजना में विभिन्न व्यवसायों यथा– Electrician, Wireman, Electrician Power Distribution, Electronics Mechanic के प्रशिक्षणार्थियों को Training Program - Rooftop Solar PV (Installation & Maintenance) में 60 घंटे (7 दिनों) का प्रशिक्षण (15घंटे OJT सहित) तथा संस्थान के Solar Technician and Electrician Trades के अनुदेशकों/प्रशिक्षकों को भी Training Program - Rooftop Solar PV (Installation & Maintenance) Trainer में 15 घंटे (2 दिनों) का प्रशिक्षण दिया जाना है।

### ❖ PM Package For Employment And Skilling :–

भारत सरकार की इस योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब तथा 800 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्पोक के रूप में विकसित किया जायेगा। जिसके अंतर्गत पूर्व से चल रहे पाठ्यक्रम को Re-Design एवं नये व्यवसायों को प्रारंभ करने के साथ–साथ Short Term Specialized Course को Hub ITI में प्रारंभ किया जायेगा।

इस योजना में 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार के द्वारा, 33.33 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा तथा 16.66 प्रतिशत राशि CSR के अतर्गत Industry के द्वारा व्यय किए जाने हेतु प्रावधानित किया गया है। निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) के द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

### ❖ कुशल युवा प्रोग्राम (KYP) योजना :–

राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत युवाओं के Soft Skills Upgradation एवं उन्हें रोजगारपरक बनाने हेतु बिहार कौशल विकास मिशन की देख–रेख में उन्हें कुशल युवा प्रोग्राम (KYP) प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्त्तमान में 107 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा KYP Center के रूप में निबंधन करा लिया गया है। 28 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा KYP प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है एवं शेष संस्थानों में प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

KYP कोर्स की कुल अवधि 240 घंटे की है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को 40 घण्टे का व्यवहार कौशल (Soft Skills), 80 घण्टे का संवाद कौशल (Language Skills) तथा 120 घण्टे का बुनियादी कम्प्यूटर साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाता है।

### ❖ टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को "सेंटर ऑफ एक्सलेंस" के रुप में विकसित करने की योजना :–

बिहार सरकार के "सात निश्चय–2" योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से "सेंटर ऑफ एक्सलेंस" के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उक्त हेतु दिनांक 31.01.2022 को निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना एवं टाटा टेक्नोलॉजी के बीच एक MoU हस्ताक्षरित किया गया है। जिसके तहत टाटा टेक्नोलॉजी एवं उनके 20 Industry Partners के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 23 नवीन एवं रोजगारपरक कोर्स प्रारम्भ किये जायेंगे तथा इन कोर्स के लिए मशीनों की स्थापना की जायेगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को वैश्विक प्रौद्योगिकी हब के रूप में विकसित करना है एवं संस्थानों में विशेष उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर अत्यधिक कुशल एवं Ready To Work कार्यबल तैयार किया जाना है, जो उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा:—

| Sl.No | Short Term Course | Sl.No | Short Term Course |
|---|---|---|---|
| 1 | Innovation and Design Thinking | 13 | Electrical Vehicle |
| 2 | Fundamentals of Product Design | 14 | Internet of Things |
| 3 | Product Design & Development | 15 | Advance Machining (Mill) |
| 4 | Auto Electrical Design & Development | 16 | Advance Machining (CNC Lathe) |
| 5 | Product Verification and Analysis | 17 | Advance Machining (Rotary 4th Axis and 5th Axis Mill) |
| 6 | Computer Aided Manufacturing | 18 | Advanced Additive Manufacturing |
| 7 | Process Control & Automation | 19 | Advanced Welding |
| 8 | Fundamentals of Automobile Engineering | 20 | Advanced Painting Technology |
| 9 | Fundamentals of Automobile Engineering | 21 | Industrial Robotics I |
| 10 | Advanced Automobile Engineering | 22 | Industrial Robotics II |
| 11 | Automibile Maintenance Repair and Overhaul | 23 | Advanced Plumbing |
| 12 | Auto Electrical Maintenance | | |

इस योजना के तहत प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को "सेंटर ऑफ एक्सलेंस" बनाने के लिए वर्कशॉप एवं टैक लैब का निर्माण कार्य बिहार

राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से पूरा किया जा चुका है। टाटा टेक्नोलॅजीज के द्वारा उक्त संस्थानों में टूल्स और उपकरणों का क्रय एवं अधिष्ठापन तथा प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दो उद्योग विषेशज्ञों की नियुक्ति भी की गयी है तथा उक्त 60 संस्थानो में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस योजना के तहत द्वितीय चरण के 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को "सेंटर ऑफ एक्सलेंस" बनाने के लिए वर्कशॉप एवं टेक लैब का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त संस्थानों में टूल्स और उपकरणों का क्रय एवं अधिष्ठापन तथा दो उद्योग विषेशज्ञों की नियुक्ति की कार्रवाई भी की जा रही है।

वर्तमान में इस योजनान्तर्गत कुल 2970 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा दिनांक–01/08/2024 से कुल 3600 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा इस योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024–25 में कुल 9600, शैक्षणिक सत्र 2025–26 में कुल 36000, शैक्षणिक सत्र 2026–27 में कुल 45000 तथा शैक्षणिक सत्र 2027–28 से कुल 60000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य के 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में "सेंटर ऑफ एक्सलेंस" की स्थापना से राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्व–रोजगार के नए अवसर तथा उद्योगों के लिए Highly Skilled Workforce उपलब्ध होंगे जो समग्र उद्योगों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

# केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बजटीय प्रावधान

श्रम संसाधन विभाग के लिए स्वीकृत बजट के आलोक में विभाग स्तर पर निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) के लिए गैर योजना/योजना मद हेतु राशि का उपबंध किया जाता है। प्रशिक्षण पक्ष को उपबंधित राशि में से निदेशालय स्तर पर चल रही विभिन्न राज्य/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सुचारु रूप से संचालन हेतु कार्रवाई की जाती है।

➢ निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के स्तर पर चल रही विभिन्न राज्य प्रायोजित योजनाएँ जिसमें बजटीय प्रावधान किया जाता है,के संदर्भ में विवरण निम्नवत है:–

❖ **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण:–**

इस योजनान्तर्गत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पुराने भवनों का जीर्णोद्धार एवं भवन रहित संस्थानों के भवन के निर्माण हेतु राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना:–**

इस योजनान्तर्गत राज्य के युवतियों को स्थानीय रोजगार/उद्योगों की उपलब्धता एवं भविष्य में रोजगार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में पूर्व से स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानीय बाजार मांग के अनुरूप नया व्यवसाय प्रारंभ किये जाने हेतु राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **पूर्व से स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारम्भ करना :–**

इस योजनान्तर्गत राज्य के युवकों को स्थानीय रोजगार/उद्योगों की उपलब्धता एवं भविष्य में रोजगार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में पूर्व से स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानीय बाजार मांग के अनुरूप नया व्यवसाय प्रारंभ किये जाने हेतु राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना:–**

राज्य सरकार के सात निश्चय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रत्येक अनाच्छादित जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

का निर्णय लिया गया, जिसके आलोक में सभी जिला में सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। उक्त संस्थानों के स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय सहित संस्थान के सुचारु रूप से संचालन हेतु अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापनाः–**

राज्य सरकार के सात निश्चय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसके आलोक में सभी अनुमंडलों में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 83 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। उक्त संस्थानों के स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय सहित संस्थान के सुचारु रूप से संचालन हेतु अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम :–**

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीनस्थ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निदेशालय के कुशल प्रशासन एवं गुणात्मक विकास, पारदर्शिता, नामांकन पद्धति, परीक्षा प्रणाली में सुदृढ़ीकरण इत्यादि संबंधित कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण :–**

निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों/सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य एवं देश के विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानो में प्रशिक्षण हेतु इस योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **<u>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू–अर्जन के लिए</u>** :–

निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के अधीनस्थ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भू–अर्जन हेतु इस योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **<u>मशीनों का आधुनिकीकरण</u>**:–

निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के अधीनस्थ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित कर शिक्षित युवक एवं युवतियों को विश्वस्तरीय तकनीशियन एवं कामगार बनाने के उद्देश्य से बिहार राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के वर्कशॉप में पुराने मशीनों के आधुनिकीकरण एवं नए मशीनों के क्रय किए जाने हेतु मशीनों का आधुनिकीकरण योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

➢ निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के स्तर पर चल रही विभिन्न **केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ** जिसमें बजटीय प्रावधान किया जाता है, का विवरण निम्नवत है:–

❖ <u>स्कील डेवलपमेंट मिशन (एल0डब्लू0ई0)</u> :–

कौशल विकास मिशन के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास (एल0 डब्लू0 ई0) के तहत संचालित नौ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 11 कौशल विकास केन्द्रों के स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय सहित संस्थान के सुचारु रूप से संचालन हेतु अन्य आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए इस योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **<u>स्कील डेवलपमेंट मिशन अन्तर्गत भवन निर्माण</u>** :–

कौशल विकास मिशन के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास (एल0 डब्लू0 ई0) के तहत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं कौशल विकास केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु इस योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **<u>औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) योजना</u>** :–

इसमें स्ट्राइव योजना से आच्छादित संस्थानों में योजना के विभिन्न बिंदुओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि हेतु उपबंध किया जाता है।

94

❖ **आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता योजना :–**

इस योजना के तहत राज्य में Skill Ecosystem से जुड़े संस्थाओं को मजबूत किये जाने, Market Linkage बढ़ाने एवं कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के उन्नयन हेतु आवश्यक राशि हेतु उपबंध किया जाता है।

❖ **स्कील डेवलपमेंट मिशन ( मॉडल आई0टी0आई0 ) :–**

कौशल विकास मिशन के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित मॉडल आई0टी0आई0 से आच्छादित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,मढ़ौरा,सारण के उन्नयन हेतु इस योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी0एम0के0वी0वाई0) :–**

बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को छोटे अवधि के कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार/स्व–रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु इस योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

➢ राज्य सरकार के **सात निश्चय योजना पार्ट–2** के अंतर्गत निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के स्तर पर चल रही विभिन्न योजनाएँ जिसमें बजटीय प्रावधान किया जाता है, का विवरण निम्नवत है:–

❖ **बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय–2 :–**

राज्य के युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु आवश्यक परामर्श एवं कार्रवाई के निमित्त सोसायटी के रूप में गठित बिहार कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु इस योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **मशीनों का आधुनिकीकरण सात निश्चय–2 :–**

टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से बिहार के सभी 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने हेतु इस योजना में राशि का उपबंध किया जाता है।

❖ **औ0 प्र0 संस्थान के भवनों का निर्माण सात निश्चय–2 :–**

इस योजनान्तर्गत संस्थानों के पुराने भवनों का जीर्णोद्धार एवं भवन रहित संस्थानों के भवन का निर्माण हेतु राशि का उपबंध किया जाता है।

# परीक्षा एवं प्रमाणीकरण

सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार के ट्रेनिंग मैनुअल के आलोक में तथा N.C.V.E.T. भारत सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण संचालित किया जाता है।

राज्यान्तर्गत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में N.C.V.E.T.,भारत सरकार से संबंधन प्राप्त संचालित व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित एकेडमिक कैलेंडर एवं परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के अंतर्गत परीक्षा नियंत्रक कार्यालय,पटना के द्वारा अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा (Computer Based Test & Practical Examination) का आयोजन किया जाता है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में S.C.V.T.,बिहार सरकार से संबंधन प्राप्त संचालित व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के द्वारा राज्य व्यवसायिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उक्त परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने हेतु राज्य मुख्यालय स्तर से केन्द्राधीक्षकों, वीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों की एवं संबधित जिला के स्तर से दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल एवं आवश्यक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को डी0जी0टी0, भारत सरकार के द्वारा National Trade Certificate (NTC) प्रदान किया जाता है जबकि राज्य व्यवसायिक परीक्षा (एस0सी0भी0टी0) में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को S.C.V.T. प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थापित किए जा रहे "सेंटर ऑफ एक्सलेंस" के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा का आयोजन एवं प्रमाणीकरण बिहार राज्य प्रशिक्षण निदेशालय के स्तर से किया जाता है।

92

# गैर–सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

बिहार राज्य के अंतर्गत कुल 1231 गैर–सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिसमें कुल 1,82,584 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु सीट स्वीकृत हैं। इन संस्थानों में कुल 18 दो वर्षीय, 24 एक वर्षीय एवं 02 छह माह प्रशिक्षण अवधि वाले व्यवसायों में प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। राज्य में संचालित सभी 1231 गैर–सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को National Council For Vocational Education Training (N.C.V.E.T.) भारत सरकार से संबंधन प्राप्त है।

राज्य के सभी गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र/छात्राओं का नामांकन निदेशालय प्रशिक्षण पक्ष द्वारा दो/एक वर्षीय व्यवसायों में नामांकन हेतु निर्धारित दर के आलोक में तथा डी0जी0टी0 के निर्धारित मापदंडों के अनुसार संबंधित संस्थानों/संचालकों के द्वारा लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन की अंतिम तिथि तक सभी निजी संस्थानों के द्वारा जिले के नोडल ITI के सहयोग से भारत सरकार के SIDH Portal पर नामांकित प्रशिक्षणार्थियों के डाटा को अपलोड किया जाता है। तदोपरांत प्रशिक्षणार्थियों के e-KYC के उपरांत उनका PRN (Permanent Registration Number) जेनरेट होता है।

सभी गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में डी0जी0टी0,भारत सरकार के ट्रेनिंग मैनुअल के आलोक में तथा N.C.V.E.T. के द्वारा निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के द्वारा निजी संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को डी0जी0टी0, भारत सरकार के द्वारा National Trade Certificate (NTC) प्रदान किया जाता है।

निजी संस्थानों में दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता, परीक्षा संचालन आदि को मानक के अनुरुप संधारित करने हेतु राज्य के प्रशिक्षण निदेशालय के द्वारा लगातार निरीक्षण एवं अनुश्रवण की कार्रवाई की जाती है।

# निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष के द्वारा अपनाये गए Good Practices

❖ **आई0टी0आई0 पाठ्यक्रमों के लिए 12वीं के शैक्षणिक समकक्षता:–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (NCVT /SCVT) के दो या दो वर्ष से अधिक अवधि के व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/कर चुके प्रशिक्षणार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी,अंग्रेजी एवं उर्दू में से किन्हीं दो विषय की) परीक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 12वीं के समकक्षता विज्ञान संकाय में प्रदान की गयी है।

❖ **पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय वर्ष के लिए सीधे प्रवेश:–**

बिहार सरकार ने आई0 टी0 आई0 उत्तीर्ण वैसे उम्मीदवारों जिन्होनें दो वर्षीय व्यवसाय की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्रदान की है ताकि वे अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के पॉलिटेकनिक संस्थानों के रिक्त सीटों में अपने व्यवसाय के अनुसार नामांकन पा सके अर्थात् BCECEB, पटना के प्रोस्पेक्टस में निर्दिष्ट मापदण्डों के अनुसार BCECEB, पटना द्वारा आयोजित लैटरल इन्ट्री परीक्षा पास करने के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी पॉलिटेक्निक में प्रवेश पा सकते हैं।

❖ **मेधा छात्रवृत्ति:–**

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को ITICAT के मेधासूची के आधार पर प्रथम दस प्रशिक्षणार्थी एवं सभी महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रति माह 150 रूपये की दर से दस माह तक मेधा छात्रवृति दी जाती है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सभी महिला प्रशिक्षणार्थी को प्रति माह 150 रूपये की दर से दस माह तक मेधा छात्रवृति दी जाती है।

❖ **पोशाक एवं जूता हेतु राशि:–**

बिहार राज्य में संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को पोशाक (ड्रेस) एवं जूता हेतु सामाग्री क्रय का अभिश्रव जमा कराने के उपरान्त

90

प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रारंभ में एक मुस्त प्रशिक्षणार्थियों को खाते में रू 3000/– (तीन हजार) मात्र प्रति प्रशिक्षणार्थी RTGS के माध्यम से राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

❖ **सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को COE के रूप में विकसित करना:–**

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को Industry 4.0 हेतु Modernize करने के लिए प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं द्वितीय चरण में कुल 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी एवं उनकी 20 Industry Partners के सहयोग से Center of Excellence बनाये जाने के निमित्त कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत संस्थानों में 23 नवीन एवं उन्नत कोर्स प्रारम्भ किये जा रहे हैं जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्व–रोजगार के नए अवसर तथा उद्योगों के लिए Highly Skilled Workforce उपलब्ध होंगे जो समग्र उद्योगों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

❖ **सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसाय प्रारंभ करना:–**

राज्य के युवक/युवतियों को स्थानीय रोजगार/उद्योगों की उपलब्धता एवं भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय बाजार के मांग के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पूर्व से स्थापित 53 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 11 नये व्यवसाय एवं 11 सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 4 नये व्यवसाय को प्रारम्भ किया गया है।

❖ **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित करने हेतु कार्रवाई किया जाना:–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों को भी शिक्षा ऋण हेतु बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित किया गया है।

——XXXX——